1 हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 143/2017 अनवान गंगाराम बनाम बांकाराम	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र खुडासा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 02.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र खुडासा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
02.05.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र खुडासा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने धारा 88, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत गौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 178 रकबा 54.18 बीघा खसरा संख्या 177 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 179 रकबा 0.06 बीघा खसरा संख्या 179 रकबा 106.00 बीघा, खसरा संख्या 175 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 185 रकबा 0.14 बीघा, खसरा संख्या 182 रकबा 0.06 खसरा संख्या 183 रकबा 51.12 बीघा के आये हुए है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता तुलसाराम, अप्रार्थी संख्या 01 के पिता मेशा अप्रार्थी संख्या 02 के पति भीखा तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 06 के पिता विरधाराम का संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा था और प्रत्येक का सम्मान 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी मे होना अंकित किया है। भूमि अविभाजित हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण के काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे हैं, जिसे निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 143/2017 अनवान गंगाराम बनाम बांकाराम

नही किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त भूमि अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर समान रूप से कब्जा काश्त होता हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का कोई न्यायसंगत कारण प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विधि सम्मत एवं तर्क संगत नही होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner